



Neutral Citation-2026:AHC:46217

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या-6032/2026

रामदेव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील-सोराँ, जिला-प्रयागराज और 10 अन्य.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मोहम्मद अच्छे, वशिष्ठ नारायण मिश्रा

प्रतिवादिओं के अधिवक्ता: आजाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया ।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले आदेश को दृष्टि में रखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस भेजकर और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखकर कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी आदेश से असंतुष्ट अनुभव करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने की अधिकार सुरक्षित रखा गया है ।
3. याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर कर प्रार्थना की है कि प्रतिवादी संख्या-1 उप मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील सोरांव, जिला प्रयागराज को मामला संख्या 228162025 (कंप्यूटरीकृत मामला संख्या टी2025020303228 16) का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया जाए ।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत दायर एक आवेदन लंबे समय से लंबित है । इस स्तर पर उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) का उल्लेख करना उचित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



होगा, जिसमें यह अनिवार्य है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर संबंधित प्राधिकारी को विधि के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका निस्तारण करना होगा। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) इस प्रकार:-

“(3) इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवही, जहां तक संभव हो, आवेदन की तिथि से तीन माह के भीतर उप-विभागीय अधिकारी द्वारा संपन्न की जाएगी।”

5. उक्त प्रावधान के आलोक में और साथ ही पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आलोक में, प्रतिवादी संख्या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट तहसीलदार, तहसील जिला को निर्देश जारी किया जाता है कि वे उक्त मामले को लें और विधि के अनुसार, यथासंभव शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, मामले का निस्तारण करें, परंतु आवश्यक स्थगन न दें, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी तर्कों की गुणदोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(माननीय प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

27 फरवरी 2026

सकलैन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”